

10-3-18

पत्रावली पेश हुई। वकील शाकी उपर्युक्त अपराधीगण  
आवृत्त सूचना के अनुपासक हैं अतः अपराधीगणों  
के विरुद्ध एक परजा कार्यवाही अमल में लाई  
गई। वकील शाकी ने 1-2. माघ को स्वीक  
कारने हेतु निवेदन किया है इस पर वकील शाकी  
का निवेदन स्वीकार कर दि. 20-12-17 को जारी  
आदेश को मूल आदेश के विस्तारण तक कन्फर्म  
किया गया। पत्रावली जिसल सुमाद होकर  
द्वि नम्बर सेकत हो। आदेश खुले न्यायल  
में सुनाया गया।

उप खण्ड अधिवारी  
साँगर लोक